

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र०५४० / आर-740 / 2022 / ब-1 / चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/06/2022


अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजना (योजना क्रमांक-9545) अंतर्गत प्रावधानित राशि को विमुक्त किये जाने के संबंध में।

- संदर्भ:-1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 373 / आर-63 / 2022 / ब-1 / चार, भोपाल
दिनांक 31 मार्च 2022
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2-1 / 2022 / नियम / चार भोपाल
दिनांक 03 जून 2022

—:—

- वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र-2 के द्वारा विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजना (योजना क्रमांक-9545) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
- 2/ वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र-1 की कंडिका 2(v) के परिशिष्ट-4 में शामिल होने के कारण योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि का आवंटन नहीं किया गया था। विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र-1 की कंडिका 2(ii) अनुसार योजना अंतर्गत राशि विमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- 3/ योजना क्रमांक -9545 अंतर्गत प्रावधानित बजट के 80 प्रतिशत राशि को विमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा व्यय सीमा संदर्भित परिपत्र-1 की कंडिका 4.1 अनुसार लागू होगी।
- 4/ संदर्भित परिपत्र-1 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।



(आईरीन सिंधिया जे.पी.)
संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्र० 58 | /आर-740 / 2022 / ब-1 / चार, *

भोपाल, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / लेखापरीक्षा) - 1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
11. समस्त सचिव / संचालक बजट / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा / पेंशन, मध्यप्रदेश।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
16. संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग